

[भारत के राजपत्र, असाधारण की भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्दों, “केंद्रीय सरकार,” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I - 5% में,-

- (i) क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, कूड या रफली ट्रिम्ड”;
-------	------------	---

- (iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया”;
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6309 से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“225क	6602 00 00	वार्किंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
-------	------------	--

225ख	6815	फलाई ऐश की ईटें या फलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स”;
------	------	--

- (vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“स्पष्टीकरण: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा.का.नि. 683 (अ)] में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारत सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारत सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

- (viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण”;
-------	---------	--

(ग) अनुसूची II - 12% में,-

- (i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैक्ड या रफली स्क्वयार्ड या आयाताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्टीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं”;

- (ii) क्रम संख्या 102 और 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	6305 32 00	फलैक्सिबल इंटरमिजेड बुल्क कंटेनर”;
-------	------------	------------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “वार्किंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स,” को निरसित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III – 18% में,-

- (i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रैड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;
-------	------	--

- (ii) क्रम संख्या 142, 143 और 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंग्स और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइंजील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकुमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैक भी आते हैं”;
---------	------	---

- (v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”, के पश्चात शब्द, “डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंको और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंको और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंको और शब्द “20इंच”, के स्थान पर अंको और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएँ [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो, आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]”;
-------	------	---

(ङ) अनुसूची IV – 28 % में,-

- (i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में “ लीथियम ऑयन बैट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथियम-ऑयन इक्व्यूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंको और शब्द “20 इंच” और अंको और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंको और शब्द “32 इंच” को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण”;
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

[फाइल संख्या 354/432/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि 696 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।